कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1133 /कानपुर/22879/2016, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 23, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0 रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्यानपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/19/2017/एफसी/309, दि0 18.09.17,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–184/14–2–2017–800(02)/2017, दिनांक 22.09.2017

महोदय,

विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में दिनांक 07.09.2017 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हुये निर्णयानुसार भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचना/अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, कानपुर के पत्रांक–1351/14–1, दिनांक 10.10.2017 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का डिजिटल मैप, उक्त स्थल चिन्हित टोपोशीट, उक्त स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, कानपुर के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2017 की समस्त संलग्नकों सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.09.17 के कम में प्रभागीय निदेशक, कानपुर के पत्र दिनांक 10.10.2017 की समस्त संलग्नकों सहित एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर।
3– अधिशासी अभियन्ता, जोन–1, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।